(183)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R5057-III/16 Rs-20/-

1. गंगा प्रसाद तनय लहुराई कोल उम्र 75 वर्ष,
2. लुज्जा तनय लहुराई कोल उम्र 70 वर्ष,
3. फुलेल तनय लहुराई कोल उम्र 30 वर्ष,
4. दिनेश तनय गंगा कोल उम्र 42 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम पुरैनी जागीर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

..................**आवेदक / निकरानीकर्तागण**

बनाम

तीरथ प्रसाद तनय मुण्डा कोल निवासी ग्राम पुरैनी जागीर, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 ....**अनावेदक / गैरनिगराकार**

रामानुज सोंधिया द्वारा आज दिनांक 9-2-16 को प्रस्तुत किया गया

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 197 / अपील / 2015–16 आदेश दिनांक 01.02.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

रामानुज सोंधिया 8827257233

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :–

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5057–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री रामानुज सोंधिया द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 197/अपील/2015–16 नें पारित आदेश दिनांक 01.2.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेंजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि का सीमांकन प्रकरण कमांक 61/अ–12/09–10 में पारित आदेश दिनांक 22.9.10 के द्वारा कराया गया था। सीमांकन के अनुसार दबते रकवे से आवेदक को बेदखल करने हेतु संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही की गई है। आवेदक का कहना है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगण का पुस्तैनी मकान बना है। शेष भूमि पर आवेदक निस्तार कर काबिज दखील है। स्पष्ट है कि अप्रीलांट कब्जे के आधार पर भूमि चाहते है, लेकिन कब्जे के आधार पर आवेदक को राजस्व न्यायालय द्वारा भूमि प्रदाय नहीं की जा सकती है। अनावेदक भूमि का मालिक है। उसके द्वारा भूमि का सीमांकन कराकर दबते रकबे से अनाधिकृत अतिकमण हटाये जाने का आवेदन पेश किया गया था इसलिये अनाधिकृत कब्जा मानकर वादग्रस्त भूमि से अनावेदक को	

बेदखल किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा द्वारा पूर्ण विवेचना करते हुये आदेश पारित किया है जिसे अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थिर रखा गया है। अतएव अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 197/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 01.2.16 उचित होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझाता हूँ। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 01.02.2016 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एम0 अली)
सदस्य